बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग
।। अधिसूचना ।।

अधि0सं0–सं0का0–01/वि0मं0(महानुभाव)–08–06/2024–........../पटना, दिनांक–.............2026

बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम–3 के आलोक में श्री कृष्ण कुमार ऋषि, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा को संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं0–936, दिनांक–29.12.2025 द्वारा दिनांक–15.12.2025 के प्रभाव से राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदत्त हैं। फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम 2(ट) तथा नियम 3(ङ) से इन्हें उक्त दर्जा के अनुरूप निजी स्टाफ की सुविधा प्राप्त है।

2. बिहार (मंत्रियों के वेतन और भते) अधिनियम, 2006 के धारा 2(ख) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 के नियम 18 से निर्धारित अनुसूची–1 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं0–288, दिनांक–23.06.2014 द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री को सरकारी एवं बाह्य सेवा के निजी कर्मचारी की सुविधा अलग–अलग प्रावधानित की गयी है। साथ ही इस अनुसूची–1 में उल्लिखित नोट (iii) से यह भी प्रावधानित है कि उक्त महानुभावों को निर्धारित संख्या में बाह्य व्यक्ति को आप्त सचिव/निजी सहायक/निम्नवर्गीय लिपिक/आदेशपाल के रूप में स्वेच्छा से नियुक्ति करने की शक्ति प्रदत्त है। परन्तु ऐसे नियुक्त बाह्य व्यक्ति की सेवा सर्वथा अस्थायी होगी और उक्त महानुभावों के कार्यकाल तक ही सीमित होगी, एवं इसके पूर्व भी बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें उक्त महानुभावों के द्वारा हटाया जा सकता है।

3. श्री कृष्ण कुमार ऋषि, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा के द्वारा उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमावली से प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए स्वेच्छा से अपने पत्रांक–54/पटना, दिनांक–06.03.2026 द्वारा बाह्य व्यक्ति श्रीमती कुमारी श्यामली, पति–श्री विनोद कुमार, पता–दुर्गा जनरल स्टोर, डॉ आर0 पी0 रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, घंटा घर अंचल–जगदीशपुर, जिला–भागलपुर, बिहार, पिन–812002 को अपने आप्त सचिव के पद पर नियुक्त करने की सूचना इस आशय के साथ दी गयी है कि नियुक्त बाह्य व्यक्ति उनके सगे–संबंधी नहीं हैं तथा इनपर कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। इसलिए महानुभाव के द्वारा ऊपर उल्लिखित बाह्य व्यक्ति को आप्त सचिव के पद पर की गयी पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति को संसदीय कार्य विभाग के कार्यालय आदेश सं0–450, दिनांक–08.06.2025 के आलोक में दिनांक–04.02.2026 के प्रभाव से निम्नलिखित नियमों और शर्त्तों के आलोक में मान्यता प्रदान किया जाता है–

3.1 उपर्युक्त रूप से नियुक्त बाह्य व्यक्ति की सेवा महानुभाव के कार्यकाल तक ही सीमित होगी। कार्यकाल समाप्ति की तिथि से उपर्युक्त रूप से नियुक्त बाह्य व्यक्ति की सेवा भी स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

3.2 महानुभाव के द्वारा उनके कार्यकाल पूरा होने के पहले भी बिना किसी पूर्व सूचना के उपर्युक्त रूप से नियुक्त बाह्य व्यक्ति को सेवा से हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में महानुभाव के द्वारा हटाये जाने की तिथि की सूचना बिहार विधान सभा एवं संसदीय कार्य विभाग को भेजी जाएगी, और उस तिथि से उपर्युक्त रूप से नियुक्त बाह्य व्यक्ति की सेवा स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

⟹

(5)

3.3 इन्हें वित्त विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन संकल्प संख्या–137, दिनांक–08.01.2018 से निर्धारित वेतनमान के आरम्भिक प्रक्रम पर नियत वेतन ₹53100/–(तिरपन हजार एक सौ रू0) एवं उसपर स्वीकृत महंगाई भत्ता देय होगा तथा वित्त विभाग के संकल्पसंख्या–3275, दिनांक–07.05.2018 द्वारा देय भत्ते अनुमान्य होंगे। परन्तु, कंडिका 3.1 के अनुसार कार्यकाल की समाप्ति की तिथि, या कंडिका 3.2 के अनुसार सेवा से हटाये जाने की तिथि, से किसी प्रकार से कोई वेतन, आदि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।
आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सुधांशु शेखर)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–01/वि0मं0(महानुभाव)–08–06/2024–........../पटना, दिनांक–............2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना, प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा, पटना, लेखा–शाखा, बिहार विधान सभा, पटना, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना, श्री कृष्ण कुमार ऋषि, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा एवं श्रीमती कुमारी श्यामली (बाह्य व्यक्ति), आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. नवनियुक्त बाह्य व्यक्ति आप्त सचिव को आदेश दिया जाता है कि वे अपना पूर्ण विवरण यथा–पूरा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, पत्राचार का पता एवं स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र किसी स्थानीय असैनिक शल्य चिकित्सक से प्राप्त कर बिहार विधान सभा (लेखा शाखा) को प्रस्तुत करें।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–सं0का0–01/वि0मं0(महानुभाव)–08–06/2024–340/पटना, दिनांक–19/03/2026

प्रतिलिपि–आई0टी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सुधांशु
18-03-2026
सरकार के अवर सचिव।

C:\RAHUL-D\STANDARD FORMAT OF NOTIFICATION AND OFFICE ORDER-30-09-2024\Format of C (OUT PERSON) PS Ntification.docx